

2057 1912

20 D



34420

M-B
MR

02CC 454573

((1))
श्री

मुद्राक शुल्क रुपये	24,000.00	बाजार मूल्य रुपये	3,00,000/-
निगम शुल्क रुपये	3,000.00	व्यवहार मूल्य रुपये	3,00,000/-
पंचायत शुल्क रुपये	3,000.00		
उपकर शुल्क रुपये	1,200.00	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका	
अधिक शुल्क रुपये	0,000.00		
योग	32,400.00	कमांक	15591 भाग-1

**** - विक्रय - पत्र - ****

श्री ओमप्रकाश पिता श्री बाबूलाल जी अग्रवाल
निवासी 42, मनीषबाग कालोनी, इन्दौर,
मध्यप्रदेश

----- विक्रेता

श्री अजय पिता श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल
निवासी 48, साजन नगर, इन्दौर,
मध्यप्रदेश

----- क्रेता

यह विक्रय पत्र विक्रेता स्वेच्छा से क्रेता के पक्ष में तथा हित में
निम्नानुसार निष्पादित कर पंजीयत करा देते हैं :-

Handwritten signatures and initials

अविरत.....2

अनुसूची 1 का प्रयोग
 1) विभाग के निर्देश
 2) प्रमाण पत्र (को में)
 3) 19 DEC 2002

2034

20000 5000 500 100
 1 2 4

~~कॉपी अनलिस्ट~~

300000
 के अंतर्गत प्रयोग के लिये

श्री अरुण & डिवाइसिंग एंड
 एच. कोन्सल्टिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि.

(9) वास्तविक प्रेता के हस्ताक्षर

Arundh

Arundh

अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क 51400/-
 अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क 6425/-
 अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क 6425/-
 अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क 2600/-

योग 66850/-

Arundh

श्री अरुण & डिवाइसिंग एंड

अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क
 अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क
 तारीख: 19 DEC 2002 को
 अ. प्र. सं. 3/20

Arundh

अनुसूचित जातियों के अस्तंगत मुद्रांक शुल्क (C.R.)

Arundh





(2)

1. यह कि, विक्रेता के भूमि-स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम "भूसाखेडी" तहसील व जिला इन्दौर, पटवारी हल्का नंबर 26, रा.नि. म. कमांक 02, विकास खण्ड इन्दौर में स्थित हैं। सदर भूमि एक फसली व असिंचित हैं। सदर भूमि के खाते में से निम्नानुसार भूमि विक्रेता ने क्रेता को विक्रय की है:-

सर्वे नंबर	रकबा(हेक्टर)	लगान
357/2	0.107	1.10
=====	=====	=====

**** -चतुःसीमा- ****

पूर्व में	-	सर्वे नंबर 357 मे जाने के लिये 25फीट चौडा रास्ता
पश्चिम में	-	रामेश्वर चौधरी की भूमि
उत्तर में	-	सर्वे नंबर 357 की शेष भूमि
दक्षिण में	-	सर्वे नंबर 356/1 से लगी हुई भूमि

2. उपरोक्त वर्णीत चतुःसीमा के मध्य की तथा वर्णन की यह कृषि भूमि विक्रेता ने क्रेता को रूपये 3,00,000/- अक्षरी तीन लाख रूपये मात्र में विक्रय की हैं। तथा प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार रीतियों से प्राप्त कर ली है:-

रूपये	1,70,125/-	अक्षरी एक लाख सत्तर हजार एक सौ पच्चीस रूपये मात्र जर्ने चैक नंबर 957300, दिनांक 4-8-2002 द्वारा प्राप्त व
-------	------------	---


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अविरत.....3

7035

11 DEC 2002



लिखित

स्वामी वेदवद
अला पंजीयके स्वामीय इत्यादि

आमलकाशु देव बाबूलाल असेवाल
उ/ 42 कबीरवाग
कालीजी सुधा
अथ आजय देव गिरधारीलाल
देवडलवाल उ/ 48 हाजक
नगरी सुधा

मैंने उपस्थिति में सुकाये गये के बीच
परिचाल की सहायता रकम मध्ये
ते पंजीयन के बाद प्राप्त होयी
रुपये 300000/-

श्री 810 गोपाल दाल
उ/ 98 असेवाल नगरी सुधा
राजेश देव शंकरलाल
उ/ 14-इलाहाबाद

19 DEC 2002

स्वामी वेदवद (व.स.)



रूपये 1,29,875/- ((3)) अक्षरी एक लाख उनतीस हजार आठ सौ पिचहत्तर रूपये मात्र चैक नंबर 966461, दिनांक 19-12-2002, उक्त दोनों चैक्स स्टेट बैंक आफ इन्दौर एस.एस.आई. वित्त शाखा, इन्दौर द्वारा प्राप्त किये, अब प्रतिफल का शेष लेना कुछ भी रहा नहीं है। (चैक अनादरित हो जाने पर दस्तावेज शून्य माना जावेगा)

योग 3,00,000/-

3. यह कि, विक्रीत भूमि का आधिपत्य विक्रेता ने क्रेता को मौके पर ले जाकर दे दिया है, तथा क्रेता ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया है, अब क्रेता इसका उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र हैं।
4. यह कि, विक्रीत भूमि पर जो भी स्वत्व एवं अधिकार विक्रेता व उनके उत्तराधिकारीगणों आदि को प्राप्त थे वह सब इस विलेख के द्वारा क्रेता को प्राप्त होकर क्रेता में वैधित हो चुके हैं।
5. यह कि, विक्रीत भूमि पर विक्रय से पूर्व विक्रेता ने कोई भार या बोझ नहीं किया है। यह दान, विक्रय, उदरपोषण आदि के बोझ में नहीं हैं। ओर न ही इस पर शासन का, बैंक का या सहकारी संस्था आदि का कोई ऋण भार ही है। फिर भी यदि भविष्य में पाया गया तो उसका समस्त दायित्व विक्रेता पर रहेगा।
6. यह कि, विक्रीत भूमि पर क्रेता द्वारा अपना नाम तहसील व पटवारी आदि के रेकार्ड में दर्ज करा लिया जावेगा, इस कार्यावाही में विक्रेता द्वारा क्रेता को सहयोग किया जावेगा।

Rishu


ASD

अविरत.....4

7836

17 DEC 2002

[Faint, illegible text]



[Handwritten signature]

[Handwritten text]

[Handwritten signature]
[Faint, illegible text]

19 DEC 2002

[Faint, illegible text]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Faint, illegible text]

19 DEC 2002

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(5)

यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वेच्छा से क्रेता के पक्ष में तथा हित में निष्पादित कर दिया है, तथा इस विलेख को पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि प्रमाण रहे।

इति,

दिनांक 19/12/2012

इन्दौर

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर-

नाम: Krishna Kumarपिता/पति: Shri. Gopal Das, Badaपता: 98 Agrawal Nagar Ind.

विक्रेता

क्रेता

2. हस्ताक्षर-

नाम: Rajesh Guptaपिता/पति: Shri. Karanपता: 141 - Shree NagarStra Indore

उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त माहिती अनुसार मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया है।



7038

11 8 DEC 2002

11 8 DEC 2002

11 8 DEC 2002

[Handwritten scribble]

[Large handwritten signature]



((4))

7. यह कि, विक्रीत संपत्ति पर क्रेता द्वारा स्वयं का नाम सक्षम शासकीय, अर्द्ध शासकीय आदि कार्यालय में अंकित करा लिया जावेगा, इस कार्यावाही में विक्रेता के सहयोग, हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता होने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को सहयोग किया जावेगा ।
8. यह कि, विक्रीत भूमि का आज दिनांक तक का समस्त लगान आदि देय होगा उसका भुगतान विक्रेता द्वारा किया जावेगा तथा आज दिनांक के पश्चात क्रेता द्वारा भुगतान किया जावेगा ।
9. यह कि, विक्रीत भूमि के स्वत्व एवं अधिकारों के संबंध में किसी ने भी कोई दावा या विवाद आदि किया तो उसका समस्त दायित्व व व्यय विक्रेता द्वारा वहन किया जावेगा तथा इस कारण से विक्रेता के द्वारा क्रेता को कोई क्षति न होने दी जावेगी ।
10. यह कि, विक्रीत भूमि के इस व्यवहार से धारा 165(6), 7-क व 7-ख मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का तथा मध्यप्रदेश कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 का या उसके किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है ।
11. यह कि, इस विलेख में विक्रेता शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे आशय विक्रेता स्वयं व उनके वैध उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, असाईनीज आदि से भी हैं। तथा क्रेता शब्द से आशय क्रेता स्वयं तथा उनसे समय समय पर स्वत्व ग्रहण करने वालों से हैं ।
12. यह कि, इस विलेख में कांटे व जोड़े गये अंश क्रमांक 1 से लगायत क्रमांक ——— तक के विक्रेता द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं ।

31/12/12

AV

7037

18 DEC 2002

5
18 DEC 2002
18 DEC 2002

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]